(97)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1448–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–3–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण क्र. 367/अपील/2013–14

शिवराज सिंह तोमर पुत्र श्री छोटेसिंह तोमर
निवासी हेमसिंह की परेड लश्कर ग्वालियर

.....आवेदक

विरूद्ध

1–श्रीमती राजौबाई पुत्री स्व0श्री काशीराम
2–अमरसिंह उर्फ बच्चूसिंह पुत्र स्व0श्री काशीराम
3–मानसिंह पुत्र स्व0श्री काशीराम
4–हरीसिंह पुत्र स्व0श्री काशीराम
समस्त निवासी ग्राम अजयपुर बारह बीघा
पंचायत भवन के पीछे लश्कर ग्वालियर

.....अनावेदकगण

.....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री ओ0पी0शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/6/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–3–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 41 दिनांक 27–6–2013 में दिनांक 16–7–2013 को आदेश पारित कर मृतक भूमिस्वामी काशीराम के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि ग्राम अजयपुर स्थित सर्वे कमांक 804 मिन एवं सर्वे कमांक 805 कुल रकबा 0.617 हेक्टेयर पर काशीराम के स्थान पर उसके वारिसान अनावेदकगण का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 4 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष वसीयत के आधार पर प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वसीयतनामा को प्रमाणित पाते हुये तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर दिनांक 19–5–14 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 4 का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11–3–15 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 19–5–14 के पालन में राजस्व अभिलेख में अनावेदक कमांक 4 का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज हो जाने के पश्चात् आवेदक द्वारा भूमि कय की गई है और तहसीलदार से नामान्तरण पंजी कमांक 4 दिनांक 15–12–2014 में दिनांक 31–12–14 को आदेश पारित किया जाकर आवेदक का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज हो चुका है ।

(2) अनावेदक कमांक 4 द्वारा अपने भाई बहिनों से दुरूभि संधि कर आवेदक को नुकसान पहुँचाने की दृष्टि से अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रकरण कमांक 1143–पीबीआर/2015 प्रस्तुत की गई है एवं दिनांक 6–4–16 को उपस्थित होकर प्रकरण नहीं चलाने का अनुरोध करते हुये प्रकरण समाप्त करा लिया और उपरोक्त कार्यवाही में आवेदक के हितबद्ध व्यक्ति होने के बावजूद पक्षकार नहीं बनाया गया है ।

(3) अनावेदक कमांक 4 द्वारा निगरानी प्रकरण समाप्त करने के उपरांत अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार के समक्ष अपर आयुक्त के आदेश का पालन कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर दुर्भावना से प्रेरित होकर अनावेदक कमांक 4 द्वारा आवेदन पत्र पर सहमति दी गई । उक्त कार्यवाही से आवेदक के हित प्रभावित होने के कारण आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 11–3–15 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

(4) अनावेदक कमांक 4 द्वारा आवेदक की भूमि हडपने के उद्देश्य से बिना उसे पक्षकार बनाये न्यायालय को गुमराह कर आदेश पारित करा लिया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक द्वारा उठाया गया यह आधार उचित नहीं है कि अपर आयुक्त के समक्ष उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक कमांक 4 द्वारा अपील प्रस्तुत कराने में आवेदक का ही हाथ रहा है और आवेदक भू–माफिया प्रवृति का व्यक्ति है तथा वह अनपढ व कम पढे लिखे लोगों को बहला फुसलाकर उनकी भूमि हडपने की कार्यवाही करता है और इसी प्रकार अनावेदक कमांक 4 को पैसों का प्रलोभन देकर भूमि कय की गई है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकगण के संयुक्त स्वामित्व की भूमि है ।

(2) अनावेदक कमांक 2 व 3 को अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की जानकारी होने पर उनके द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे स्वीकार करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा कब कय की गई है इसकी कोई जानकारी आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है जबकि वास्तव में विकय पत्र केवल दिखावटी विकय पत्र है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि के विकय की जानकारी अनावेदकगण को होने पर उनके द्वारा पृथक पृथक प्रकरण व्यवहार न्यायालय में दर्ज कराये गये हैं जिसमें से व्यवहार वाद कमांक

161–ए/2016 ई.दी. में व्यवहार न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर बहस सुन ली गई है जिसमें आदेश हेतु दिनांक 21–2–17 नियत है ।

(5) अनावेदक कमांक 4 के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा के निरस्ती हेतु व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है जो विचारण है । उपरोक्त वैधानिक स्थिति से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का कानूनी रूप से आवेदक भूमिस्वामी नहीं रहा है और न ही उसे कभी भी प्रश्नाधीन भूमि के विकय का अधिकार रहा है ।

(6) आवेदक द्वारा अनावेदक कमांक 4 को 43,00,000/– रुपये दिया जाना विकय पत्र में उल्लिखित किया गया है जबकि वास्तविक रूप से कोई भी राशि कभी भी अनावेदक कमांक 4 द्वारा प्राप्त नहीं की गई है ।

(7) आवेदक द्वारा अनावेदक कमांक 4 से उसके हिस्से की भूमि खरीदने हेतु अनुबंध किये जाने के बहाने विकय पत्र निष्पादित करा लिया गया है जिसकी जानकारी अनावेदक कमांक 4 को कभी भी नहीं रही है ।

(8) अनावेदक कमांक 4 अपने भाई बहनों से बेईमानी नहीं करना चाहता है इसलिये उसके द्वारा अपर आयुक्त के आदेश को चुनौती नहीं दी गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष मूल वसीयतनामा प्रस्तुत नहीं हुआ है । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है । स्पष्ट है कि इस संबंध में अपर आयुक्त ने जो निष्कर्ष निकाले हैं वह उचित है तथा उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । जहॉ तक वर्तमान आवेदक का प्रश्न है, इस प्रकरण में उसकी हैसियत केता की है उसे केवल वही अधिकार प्राप्त होगे जो विकेता को थे । चूँकि अपर आयुक्त के आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने का यह प्रभाव होता है कि विकेता हरिसिंह प्रश्नाधीन भूमि का एकमात्र भूमिस्वामी नहीं रह जाते हैं । ऐसी स्थिति में हरिसिंह द्वारा आवेदक के पक्ष में हुआ यह अन्तरण भी मान्य किये जाने योग्य नहीं है । प्रकरण में

राजीनामा भी पेश किया गया है जो कि प्रथमतः अस्पष्ट है, द्वितीय राजीनामा भूमि अन्तरण का दस्तावेज नहीं माना जा सकता है । अतः उसको निगरानी की स्टेज पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में यह निगरानी अमान्य किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर